संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश
Email : idspssu@mp.gov.in

क्रं./आई.डी.एस.पी./2020/1592 भोपाल, दिनांक – 11/09/2020

प्रति,

1. समस्त जिला कलेक्टर, म.प्र.।
2. समस्त अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
4. समस्त डी.सी.एच. प्रभारी, म.प्र.।

विषयः– कोविड–19 भर्ती रोगियों के डाउन ट्रान्सफर के संबंध में।
संदर्भः–इस कार्यालय का पत्र क्रं./2020/कोविड–19 नियंत्रण/IDSP/382 दि. 11.05.2020।

–––000–––

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वैश्विक महामारी के परिदृश्य में कोविड–19 के पॉजिटिव तथा एक्टिव मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्वि हो रही है। वर्तमान स्थिति में 83619 कुल व्यक्ति प्रदेश में संक्रमित पाये गये है तथा 18992 एक्टिव मरीज है। कुल केस पिछले 30 दिनों में दुगने हुए है। अनुमानित है कि प्रदेश में वर्तमान वृद्वि दर को देखते हुए 31 अक्टूबर तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2.6 लाख तथा एक्टिव मरीज 55000 होना संभावित है। अतः प्रकरणो की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि कोविड उपचार हेतु चिन्हाकिंत संस्थाओं में संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाये।

उपरोक्त संबंध में निर्देशित किया जाता है कि संसाधनो के समुचित उपयोग हेतु निम्नानुसार कार्यवाही कि जाये–

1. डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में भर्ती रोगी का बुखार यदि 3 दिवस से ना आया हो तथा 4 दिवस तक बगैर ऑक्सीजन सपोर्ट के ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 प्रतिशत से अधिक हो तो ऐसे रोगियों को जिले के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में डाउन ट्रान्सफर का निर्णय चिकित्सक द्वारा लिया जा सकेगा।

2. डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में भर्ती रोगी को यदि 3 दिवस से बिना बुखार की दवा खाये तापमान सामान्य हो, सांस लेने में कठिनाई ना हो तथा ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता नही हो तो ऐसे रोगियों को कोविड केयर सेंअरी अथवा होम आइसोलेशन में डाउन ट्रान्सफर किया जा सकेगा।

3. उपरोक्त लक्षण रहित रोगियों की निगरानी जिला कोविड कमाण्ड़ एवं कन्ट्रोल सेंटर के चिकित्सक द्वारा दैनिक वीडियों कॉल तथा सार्थक लाईट एप के द्वारा की जायेगी।

Scanned with CamScanner

4. लक्षण उत्पत्ति दिनांक से दस दिन होने तथा रोगी में विगत तीन दिनों से बुखार का कोई लक्षण नही होने पर रोगी को डिस्चार्ज कर सार्थक पोर्टल पर एण्ट्री सुनिश्चित की जाये।

डाउन ट्रान्सफर किये जाने वाले समस्त रोगियों का परीक्षण पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप किये जाये।

(डॉ. संजय गोयल)
आयुक्त स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश

पृ.क्रं./आई.डी.एस.पी./2020/1593......... भोपाल, दिनांक 11/09/2020

प्रतिलिपिः–सूचनार्थः

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र.।
3. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.।
4. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र.।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
6. संचालक चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.।
7. समस्त क्षेत्रिय संचालक स्वास्थ्य, म.प्र.।
8. समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.।
9. प्रभारी कोविड 19 नियंत्रण कक्ष संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.।

आयुक्त स्वास्थ्य 11/09/2020.
मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner